हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

अष्टम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 80

बुधवार, 8 अप्रैल, 2015/18 चैत्र, 1937(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

<u>समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)</u>

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

<u>11.00 AM</u>

1. **<u>प्रश्नोत्तरः</u>**

(I) **तारांकित प्रश्नः**

तारांकित प्रश्न संख्या 2051 से 2054, 2056, 2058, 2059, 2061, 2065, 2070, 2072 व 2077 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 2055, 2057, 2062 से 2064, 2066 से 2069, 2071, 2073 से 2076 के उत्तर सभा पटल पर रखे समझे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 2078 से 2081 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(श्री जय राम ठाकुर, सदस्य के प्रश्न संख्या 2053 पर दुबारा अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए जोर डालने तथा माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अगला प्रश्न पुकारे जाने के कारण उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत विपक्ष ने 11.30 बजे पूर्वाह्न सदन से बहिर्गमन किया)

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्या 901 व 902 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(विपक्ष के माननीय सदस्य 12.00 बजे अपराह्न सदन में पुनः उपस्थित हुए।)

12.00 PM

2. सदन की समिति के प्रतिवेदनः

श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति (वर्ष 2014-15) ने समिति के **द्वितीय मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर अष्ट्म कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

12-03 PM

3. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः

श्री बिक्रम सिंह ने "चिन्तपुरनी बाज़ार में स्थित होटल, सराय, आवास व अन्य व्यवसायिक संस्थानों में सीवरेज की उचित व्यवस्था न होने के कारण पेयजल स्त्रोतों के दूषित होने से उत्पन्न गम्भीर स्थिति की ओर **सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित किया।"

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तर दिया।

12-14PM

व्यवस्था का प्रश्न

श्री रिखी राम कौंडल, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि जिला बिलासपुर में लगातार चोरियां हो रही हैं और Law and Order की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। मैंने श्री जोध सिंह, निवासी पराहु, तहसील झण्डुता, जिला बिलासपुर, की जंगल में मिली लाश के संबंध में नियम 62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था जिसकी अभी तक मुझे कोई सूचना नहीं दी गई है। इस पर

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आपका विषय जवाब के लिए सरकार को भेजा गया है। जब सरकार से उत्तर आएगा तो वस्तुस्थिति से आपको अवगत करवा दिया जाएगा।

12-23 PM

4. विधायी कार्यः

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **माननीय मुख्य मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 7) पर विचार किया जाए।

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री सुरेश भारद्वाज
2. डॉ0 राजीव बिन्दल
3. प्रो0 प्रेम कुमार धूमल
4. श्री रविन्द्र सिंह
5. श्री रिखी राम कौंडल

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।
खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय मुख्य मंत्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक,2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 7) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक,2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 7) पारित हुआ।

(ii) **माननीय मुख्य मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 10) पर विचार किया जाए।

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री सुरेश भारद्वाज
2. प्रो0 प्रेम कुमार धूमल

विपक्ष की टिप्पणी पर कि उन्हें हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 10) विधेयक की प्रति समय पर प्राप्त नहीं हुई पर अध्यक्ष महोदय ने कहाः-

> "हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 10) को प्रस्तावित करने की सूचना सरकार से दिनांक 6.4.2015 को सायं 8 बज कर 15 मिनट पर प्राप्त हुई। उसके बाद सचिवालय द्वारा विधेयक की सूचना माननीय सदस्यों को बुलेटिन भाग-2, संख्या 265 द्वारा उसी दिन प्रेषित कर दी गयी थी। विधेयक की मुद्रित प्रतियां सचिवालय में दिनांक 7 अप्रेल, 2015 को प्राप्त हुई है जिसकी प्रतियां माननीय सदस्यों को सूचनार्थ सदन में 10.30 मिनट पर रख दी गई थी। "

इस पर तुरन्त अपनी प्रतिक्रिया में माननीय मुख्य मंत्री ने कहाः-

> Speaker, Sir, keeping in view the suggestion made by the Opposition that they have not given time to read it, I request that this may be taken up tomorrow morning."

तदोपरान्त **माननीय संसदीय कार्य मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 10) पर दिनांक 09.04.2015 को विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

(सदन की बैठक 1.00 बजे अपराहन दोपहर के भोजनोवकाश के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई)।

(सदन की बैठक अपराह्न 2.00 बजे पुनः आरम्भ हुई)।

(iii) **माननीय शहरी विकास मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 8) पर विचार किया जाए।

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री सुरेश भारद्वाज
2. श्री महेश्वर सिंह
3. श्री राम कुमार

माननीय शहरी विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 12 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।
खण्ड 2 से 11 व 13 से 18 तक विधेयक का अंग बने।
खण्ड 1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय शहरी विकास मंत्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना(संशोधन) विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 8)को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना(संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 8) संशोधित रूप में पारित हुआ।

(iv) **माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 9) पर विचार किया जाए।

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री जय राम ठाकुर
2. श्री महेश्वर सिंह
3. श्री जगत सिंह नेगी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय
4. श्री जगजीवन पाल, माननीय मुख्य संसदीय सचिव

माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2 से 11 तक विधेयक का अंग बने।
खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 9) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 9) पारित हुआ।

माननीय अध्यक्ष को सूचना मिलते ही उन्होंने सदन को सूचित कियाः-

"जो भी बिल विधान सभा इन्ट्रोडक्शन के लिए विभागों से प्राप्त होता है, विभाग उसे पहले e-vidhan द्वारा On-line विधान सभा को भेज देते है और वह तुरन्त Mobile App के माध्यम से Mobile और Tablet पर माननीय सदस्यों के लिए उपलब्ध हो जाता है। इसी तरह खेल विधेयक हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 10) भी माननीय सदस्यों को उनके Mobile App पर उपलब्ध था।"

3-20 PM

5. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेखः

सर्वश्री रणधीर शर्मा, सुरेश कुमार, बलदेव सिंह तोमर, महेश्वर सिंह, कुलदीप कुमार, कृष्ण लाल ठाकुर, सुरेश भारद्वाज और श्री रविन्द्र सिंह सदस्यों द्वारा नियम 324 के अन्तर्गत विषय उठाए गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए समझे गए।

सदन की बैठक अपराह्न 3.25 बजे वीरवार, दिनांक 9 अप्रैल, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई ।